दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। श्रीमान P.O साहब दौरे पर हैं पत्रावली दिनांक 3/5/18 को पेश हो।	
3/5/18	पत्रावली आज पेश हुई। P.O साहब निर्वाचन कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 4/5/18 को कैम्प मनोहरपुर में पेश हो।	
4/5/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मनोहरपुर में पेश हुई। वादी की ओर से पुजारी कमलदास उपस्थित। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख.नं. 5458 रकबा 1.38 हैक्टेयर वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा स्थित है जिसको इस प्रकरण में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधन किया जावेगा। विवादित आराजी पर वादी स्वयं काबिज रहकर कब्जा काश्त करते पुजारी चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी वर्ष 1978 में ठिकाना शाहपुरा से मंदिर में अधिग्रहित होकर वादी को आवंटन/नियमन हो गई लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से पुजारी रामप्रसाद प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई। जबकि विवादित आराजी पर वादी कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की ओर से वाद पत्र पेश होने पर नियमित दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई लेकिन प्रतिवादी के हाजिर नहीं होने पर जरिये समाचार पत्र इश्तहार जारी कर प्रतिवादी को जवाबदावा हेतु सबूत पेश करने का मौका दिया गया लेकिन प्रतिवादी के हाजिर नहीं रहने पर विरुद्ध प्रतिवादी 1-14 के एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी प्रतिवादी को नियमन हुई है लेकिन वाद पत्र के मुताबिक विवादित आराजी वादी को आवंटन नियमन हुई थी लेकिन गलती/सहवन से पुजारी के नाम राजस्व	कमलदास

(सत्यविजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	5/7/18	रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर दी गई जबकि मौके पर विवादित आराजी पर वादी की कब्जा/काश्त की व्यवस्था करता आ रहा है। इस सम्बन्ध मे वादी की ओर से पुजारी कमलाकर, ओलेव पुत्र भगवान स्वामी व मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल जांगिड ने अपने शपथ पत्र मुख्य परीक्षण मे जाहिर किया कि विवादित आराजी वादी राजशाही व्यवस्था के समय से ही काबिज रहकर खेत के हाली मजदूरो के द्वारा कब्जा काश्त करवाता आ रहा है तथा विवादित आराजी वादी को आवंटन/नियमन हुई थी लेकिन सहवन से प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी को सुनवाई का पर्याप्त एवं उचित अवसर दिये जाने तथा दैनिक समाचार पत्रो के द्वारा भी सूचित किये जाने पर भी गैर हाजिर रहने से यह जाहिर होता है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादी का कोई हक हकूक व कब्जा काश्त नही है। जमाबंदी मे उपतहसीलदार मनोहरपुर की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त पुजारी व अन्य व्यक्तियो से करवाया जा रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादी ही कब्जा/काश्त की व्यवस्था कर रहा है तथा प्रतिवादी की ओर से किसी प्रकार का अपने हक हकूक के सम्बन्ध मे शहादत सबूत पेश नही किये गये बल्कि प्रकरण मे अनुपस्थित रहा है जबकि प्रतिवादी को जरिये समाचार पत्र के भी इत्तला दी गई है। इस प्रकार वादी विवादित आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी

(... विशेष) ... अधिकारी ... पुर (राज.)

फर्द अहकाम

मूर्ति मंदिर सीतारामजी बनाम रामदास

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

संख्या 916/2012

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
4/5/2018	हक हकूक का अधिकार रखता है। अतः दावा वादी के हक में लेकर अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 5856 रकबा [illegible].38 हैक्टे. आराजी वाके ग्राम मनोहरपुरा तहसील शाहपुरा प्रतिवादी रामदास चेला शीतलदास का नाम हजफ कर वादी मन्दिर मूर्ति श्री सीतारामजी रामद्वारा मनोहरपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (रविन्द्र विजय) उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)	